राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 120/2023 प्रा0पत्र

अनवान

मोहन लाल पिता तारू राम जाति सालवी आयु 61 वर्ष निवासी उवा भाटा बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार , तहसील भीम जिला राजसमंद

.... अप्रार्थी

उपस्थिति :–

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत खत्री
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u> दिनांकः–13/01/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की मौजा ग्राम बाघाना पटवार हल्का बाघाना तहसील भीम में कृषि भूमि स्थित है जिसके खाता संख्या 384 खसरा संख्या 1018 रकबा 0.1781है0 कुल किता 01 किस्म चाही/जाव भूमि स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम मोहनलाल दत्तक पुत्र गमना जाति बलाई के स्थान पर मोहनलाल पुत्र तारूराम जाति सालवी दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र, जमाबंदी की प्रतिलिपि, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार रिकॉर्ड में उपरोक्त नाम शुद्धि उचित है तथा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रार्थी ने बहस में भी प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर खाता संख्या 384 खसरा संख्या 1018 रकबा 0.1781है0 कुल किता 01 किस्म चाही/जाव में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र तारूराम जाति सालवी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/1/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
भीम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द